रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 287] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 1972/ज्येष्ठ 19, 1894
No. 287] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 1972/JYAISTHA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 जून, 1972

अतिकर

एस० आ० 417(अ).—भारत के राजपत्र असाधारण, तारीख 25 फरवरी, 1972 पृष्ठ 388 पर प्रकाशित अधिसूचना की तारीख "15 फरवरी" को "25 फरवरी" पढ़ा जाय और उसी पृष्ठ पर, उपरोक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा की दूसरी पंक्ति में "25 द्वार" के स्थान पर "25 द्वारा" पढ़ा जाय ।

उसी पैरा की तीसरी पंक्ति में दूसरे शब्द "नयम" को "नियम" पढ़ा जाय ।

उसी पृष्ठ पर नीचे से पांचवीं पंक्ति में "वप" के स्थान पर "वर्ष" पढ़ा जाय ।

[सं० 107/फा० सं० 143/(3)/72-टी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,
सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972